चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच सीमावर्ती व्यापार के लिए प्रवेश और बहिर्गमन प्रक्रियाओं संबंधी समझौता

चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार :

दोनों देशों और अपनी जनता के बीच मैत्री संबंधों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ;

चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच सीमावर्ती व्यापार पुन: आरंभ करने के लिए दिनांक 13 दिसंबर, 1991 को नई दिल्ली में सम्पन्न समझौता ज्ञापन के अनुसरण में ;

सीमावर्ती व्यापार और संबंधित मामलों में लगे हुए कार्मिकों और उनके यातायात के साधनों के प्रवेश और बहिर्गमन से संबंधित मामलों को विनियमित करने की इच्छा से ;

निम्नलिखित मुद्दों पर सहमत हुए हैं ;

अनुच्छेद -1

क्यागला (लिपुलेख) दर्रा सीमावर्ती व्यापार में लगे व्यक्तियों, वस्तुओं और परिवहन के साधनों के प्रवेश और बहिर्गमन के लिए, वस्तु-विनिमय और परिवहन साधनों के लिए सीमावर्ती दर्रा होगा ।

इस अनुच्छेद के पैरागाफ-1 में बताए गए मार्ग से व्यक्तियों, वस्तुओं और परिवहन साधनों के प्रवेश और बहिर्गमन पर समुचित नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उक्त पक्षकार ऐसी जांच और निरीक्षण एजेंसियां स्थापित करेंगे जो आवश्यक समझे जाएंगे ।

अनुच्छेद -2

उक्त पक्षकार सीमावर्ती व्यापार के लिए क्रमश: पुलन (चीन) और गुंजी (भारत) में बाजार-स्थान निर्धारित करेंगे ।

सीमावर्ती व्यापार के लिए बाजार प्रति वर्ष 1 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के दौरान खोले जाएंगे । दोनों पक्षकारों के नामित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि मौसम दशाओं जैसी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण जब भी व्यापार की इस अवधि को बढ़ाना या कम करना आवश्यक तथा वांछनीय होगा तो वे परस्पर सहमति से इसे बढ़ा सकेंगे अथवा कम कर सकेंगे । जब भी परस्पर

सहमति से यह अवधि बढ़ाई या घटाई जाएगी तो नामित प्राधिकारी/सार्वजनिक सूचना द्वारा दोनों पक्षों के व्यापारियों को इसकी सूचना देंगे ।

अनुच्छेद -3

किसी भी पक्षकार के व्यक्तियों, वस्तुओं और परिवहन के साधनों के दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में पुवेश करने पर उनके पास पुवेश और बहिर्गमन के लिए वैध दस्तावेज़ होने चाहिएं और वे उस देश के संबंधित प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होंगे ।

सीमावर्ती व्यापार करने का इरादा रखने वाले दोनों में से किसी भी पक्षकार के नागरिक को अपने-अपने देशों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया वैध यात्रा पास ले जाना होगा ।

यात्रा पास पर धारक की फोटो लगी होनी चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिएं तथा धारक का नाम, व्यवसाय, लिंग, जन्म तिथि, पता, दस्तावेज़ की वैधता, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम तथा मुहर और जारी करने की तारीख जैसे ब्यौरे होने चाहिएं । साथ जाने वाले सोलह वर्ष से छोटी आयु के बच्चे का नाम, आयु और लिंग का उल्लेख होना चाहिए और माता-पिता में से किसी एक के यात्रा पास में उसकी फोटो लगी होनी चाहिए ।

यात्रा पास का पुपत्र चीनी, हिंदी और अंग्रेजी तीन भाषाओं में होगा । यात्रा पास जारी करना पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी और उन्हें इन यात्रा पासों का पुयोग करने से पहले ही इनके पुपत्र की एक-दूसरे को विधिवत् जानकारी देनी होगी । यात्रा पास से बहुउद्देशीय पुवेश और बहिर्गमन की अनुमति मिल सकेगी और यह केवल उस वर्ष के लिए वैध होगा जिस वर्ष में इसे जारी किया जाएगा ।

यात्रा पास में सभी पुविष्टियां दोनों में से किसी भी पक्षकार की राजभाषा में की जाएंगी । कुछ मदों की पुविष्टियां जिनके लिए दोनों पक्षकार सहमत हों अंग्रेजी में भी की जाएंगी, इनमें नाम, लिंग, व्यवसाय, पता तथा गंतव्य स्थान शामिल हैं । सभी संख्यात्मक पुविष्टियां अरबी संख्याओं में की जाएंगी ।

यदि किसी पक्षकार के किसी व्यक्ति का यात्रा पास दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में खो जाता है तो ऐसी स्थिति में पास खो जाने की सूचना तत्काल सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी जो आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद बहिर्गमन के लिए पास खो जाने संबंधी पुमाण-पत्र जारी करेगा ।

अनुच्छेद -4

यात्रा पास धारक केवल विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अंदर और केवल निधारित

अवधि के दौरान रहने और व्यापार करने का हकदार होगा ।

अनुच्छेद -5

दोनों में से किसी भी पक्षकार के व्यक्ति दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में रहते समय वहां लागू कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे । दोनों पक्षकार एक-दूसरे के कार्मिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करेंगे ।

अनुच्छेद -6

सीमावर्ती व्यापार का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा सीमा-पार कर्मचारियों की सीमा-सुरक्षा तथा प्रबंध के संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग और सौहार्द को सुदृढ़ करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पक्षकारों की तस्करी एजेंसियां परस्पर संपर्क की व्यवस्थाएं कर सकती हैं । इन व्यवस्थाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, ये मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं - सीमावर्ती क्षेत्रों में पक्षकारों के सुरक्षा हितों के मामलों पर संक्षिप्त विवरण तैयार करना, अवैध प्रवेश और बहिर्गमन में लगे व्यक्तियों के संबंध में कार्रवाई करना, परामर्श के जरिए विदेशी राष्ट्रों से संबंधित मामले निपटाना, आपराधिक क्रिया-कलाप जैसे तस्करी, औषधियों का अवैध व्यापार और जालसाजी से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करना और परामर्श के जरिए अवैध प्रवेश और बहिर्गमन में लगे अथवा अपराधी व्यक्तियों को एक-दूसरे को सौंपना आदि । पक्षकारों की जांच और निरीक्षण एजेंसियां भी प्रचालन संबंधी आदान-प्रदान कर सकती हैं ।

यदि किसी पक्षकार का कर्मचारी उपर्युक्त उद्देश्य से दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे यात्रा पास ले जाना चाहिए ।

अनुच्छेद-7

पक्षकारों के बीच लिखित रूप में सहमति के द्वारा इस करार में संशोधन किया जा सकता है या इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ।

अनुच्छेद -8

यह करार इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा और दोनों देशों की सरकारों के बीच सीमावर्ती व्यापार पुन: आरंभ करने के संबंध में दिनांक 13 दिसंबर, 1991 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की वैधता के दौरान वैध रहेगा ।

.....नई दिल्ली.....में .....1 जुलाई.....1992 को चीनी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ । इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे ।

李光辉

चीन जनवादी गणराज्य
की सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से